

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट  
जमीला बनाम चूरमोहम्मद

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जल


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए


10.08.22

आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट चारों  
अस्थाई निषेधाज्ञा तामील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो  
प्रार्थना पत्र को पढा गया। तामील दादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना  
गया। बहरस तामील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दरतावेजात वो  
शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है।  
सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।


अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जयें अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक  
11.10.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण  
विवादित ख0नं0 364 रकबा 0.6400हे0 वाके ग्राम कुतियापुर तहसील  
किशनगढबास जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की  
यथास्थिति बनाये रखे।

तयोना यह आज्ञा ताफैसला दावा रथाई कर दी जावे जो भी  
आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का  
रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर  
दिनांक 11.10.22 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास(अलवर)

Not Pro  
  
11/10/22

11-10-22 पतावली पेडाई। बादी ने अपना मूलवाद  
नोट प्रेस में खारिज करवा लिया है।  
अतः प्रार्थना पत्र शरू में नैरे प्रेस में  
खारिज किया जागा है। प्रार्थना पत्र  
फासल सुमार हीकर संलग्न मूलवाद  
रहे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)